

निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

जलेब चौक
फोन :- 0141-2612591, फ़ैक्स :- 0141-2612592, ई-मेल :- sso1rajhg@hotmail.com
Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक : गृहमु/स्टेशनरी स्टोर/2022 33108-10 दिनांक : 7/12/22

:- नीलामी सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गृह रक्षा, मुख्यालय, मण्डार/रिकॉर्ड एवं वैलफेयर शाखा के नाकारा योग्य सामान राशि रूपये 10,98,107/- (अक्षरे रूपये दस लाख अठानवे हजार एक सौ सात मात्र) को दिनांक 30.12.2022 को प्रातः 12.00 बजे गृह रक्षा, जलेब चौक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के प्रांगण में नियमानुसार गठित कमेटी द्वारा नीलाम किया जावेगा।

अतः इच्छुक खरीददार जो बोली लगाना चाहें वे निश्चित समय एवं दिनांक को स्वयं से उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। शर्तें एवं अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


:- नीलामी की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार होगी :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी में बोली लगाने से पूर्व राशि 22,000/- रूपये (अक्षरे रूपये बाईस हजार मात्र) बतौर धरोहर राशि जमा करानी होगी जो नीलामी के पश्चात वापिस लौटा दी जावेगी।
2. सामग्री जैसी हैं जहाँ हैं के आधार पर नीलाम की जावेगी। नीलामी योग्य सामान का निरीक्षण/अवलोकन किसी कार्य दियस को गृह रक्षा, जलेब चौक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर कार्यालय समय में आकर किया जा सकता है।
3. अन्तिम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा किसी भी अन्य कारण से नीलामी रथगित/रदद करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
4. नीलामी की कार्यवाही निर्धारित कमेटी द्वारा की जावेगी, किसी कारण वश कमेटी के सदस्य उपस्थित न होने पर नीलामी रथगित की जा सकती है।
5. नीलाम किये गये सामान पर नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
6. बोली स्वीकृत हो जाने पर बोली लगाने वाले को बोली छूटने पर सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा नाकारा सामान स्वयं के खर्च पर तुरन्त उठाना होगा।
7. नीलामी कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि वसूल नहीं होती है तो कमेटी को बोली को रदद करने का अधिकार होगा जिस पर कोई दावा नहीं होगा।
8. बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
9. बोली लगाने से पूर्व कमेटी द्वारा रखी शर्तें मान्य होगी।
10. नीलामी की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।


(विजय सिंह भामू)
उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यालयध्यक्ष, उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-जी, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. शेकड्रपाल, कार्यालय हाजा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर।
8. श्री मदन मोहन जोशी, कनिष्ठ लिपिक, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
9. स्थानीय कबाड़ी मैसर्स.....


उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।